

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और
जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक
अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 22/10/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, उप
मुख्य शीर्ष-01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप
शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये
लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	1037.490

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रु.- दस करोड़ सैतीस लाख उनचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध रु. 20522.98 लाख (रु. दो सौ पाँच करोड़ बाईस लाख अठानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि.) दि. 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

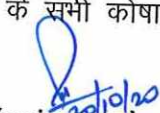

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 72

रॉची, दिनांक :- 22/10/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

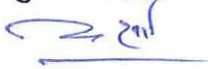

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 72

रॉची, दिनांक :- 22/10/2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वपरिखा बोंध परियोजना

परिशिष्ट I
72 दिनांक 22/10/2020 को अनुलग्नक

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020-21	कार्यालय का नाम	विरुद्ध शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04-		विरुद्ध शीर्ष-07-		कुल योग	अभियुक्ति
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एल0डी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विरुद्ध व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्माति	विधि प्रसार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	मुख्य अभियंता-ईवागालुडीह कमलेक्स, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	107.000 33.000 140.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.400 0.800 1.200	0.100 0.300 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 1.200 1.700	0.000 0.000 0.000	108.400 35.300 143.700						
2	मुख्य अभियंता, योजना मनेटरिंग एवं आयोजन संचो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	28.000 0.000 28.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.400 0.000 0.400	0.400 0.000 0.100	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	29.400 0.150 29.550						
3	मुख्य अभि०, रूपकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान संचो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	80.000 0.000 80.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.400 0.000 0.400	0.400 0.200 0.600	0.100 0.100 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.300 0.800	0.000 0.000 0.000	81.400 1.100 82.500						
4	खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	170.000 76.330 246.330	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.200 0.100 0.300	0.300 0.200 0.500	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	170.950 77.230 248.180						
5	खरकई बांध अंचल, चालियामा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	106.000 16.000 122.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.100 0.300	0.300 0.150 0.450	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	106.950 16.550 123.500						
6	योजना एवं आयोजन अंचल, संचो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	213.000 60.000 273.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.240 0.240	0.200 0.000 0.200	0.300 0.300 0.600	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.000 0.300 0.300	213.950 60.840 274.790						

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रभात कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें				विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रभार		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां	इंधन एवं मरम्मत					कुल योग	अभिवृत्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
7	योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-1 संचो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	170.000 80.000 250.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.200 0.500	0.050 0.150 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	170.950 80.550 251.500						
8	योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-2 संचो	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	140.000 15.000 155.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.000 0.300	0.050 0.200 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	140.950 15.200 156.150						
9	रूपकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	133.000 22.000 155.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.000 0.300	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	133.950 22.200 156.150						
10	रूपकण अंचल-आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	156.000 4.000 160.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.300 0.000 0.300	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.200 0.600	0.000 0.100 0.100	156.950 4.550 161.500						
11	स्वर्ण रेखा बांध अंचल चाडिल	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	169.000 0.000 169.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.300 0.500	0.300 0.200 0.500	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.400 0.400 0.800	0.000 0.000 0.000	169.950 1.250 171.200						
12	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	164.000 60.810 224.810	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.300 0.000 0.300	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 1.000 1.000	0.400 0.200 0.600	0.000 0.000 0.000	164.950 62.060 227.010						
13	अपर निदेशक मू-अर्जन एवं पुर्नवास स्वर्ण रेखा आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	49.000 0.000 49.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.200 0.450	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.300 0.600	0.000 0.200 0.200	49.800 0.800 50.600						

(सोनेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-		विरुद्ध शीर्ष-07-		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएटीओसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विविध प्रभार	कुल योग	अभिवृद्धि				
	विपत्र कोड	49S270001001 020101	49S27000100 1020110	49S270001001 020112	49S270001001 020213	49S27000100 1020315	49S270001001 020333	49S27000100 1020334	49S270001001 020337	49S270001001 020442	49S27000100 1020760						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
14	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	349.000 70.000 419.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.900	0.200 0.700 0.900	0.250 0.200 0.450	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	0.300 0.250 0.550	0.000 0.000 0.000	349.800 71.450 421.250				
15	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	298.000 0.000 298.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.000 0.250	0.250 0.100 0.350	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.700 0.700	0.300 0.000 0.300	0.000 0.400 0.400	298.800 1.200 300.000				
16	खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	195.000 5.000 200.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.060 0.060	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	195.800 5.060 200.860				
17	खरकई बांध प्रमंडल सं०-1 मुसाबनी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	135.000 0.000 135.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	135.500 0.100 135.600				
18	गाबूडीह दायां नहर प्रमंडल सं०-1, मुसाबनी शिविर गाबूडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	207.000 0.000 207.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.600 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	207.500 0.850 208.350				
19	नहर रूपांकण प्रमंडल सं०-1 जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	315.000 31.940 346.940	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.100 0.350	0.250 0.050 0.100	0.050 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	315.500 32.090 347.590				
20	पुनर्वास पदा० सं०-2 स्वर्ण रेखा परियोजना बांझिल, पश्चिमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	178.000 80.000 258.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.300 0.000 0.300	0.000 0.300 0.300	178.800 80.600 259.400				

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं मत्तें				विरुद्ध शीर्ष-02- देशीय यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04- मोटोसाइकल इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07- विधि प्रसार		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वकफा वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटोसाइकल इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभिवृद्धि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
21	बाबू एवं बराल रुपाकाण प्रमंडल - जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	295.000 5.000 300.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.150 0.400	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.060 0.060	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	295.500 5.210 300.710						
22	यात्रिक प्रमंडल, चाँडिल	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	222.000 9.000 231.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.250 0.150 0.400	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 1.000 1.000	0.300 0.200 0.500	0.000 0.200 0.200	222.800 10.750 233.550						
23	रुपाकाण प्रमंडल सं०-2 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	227.000 81.310 308.310	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	227.500 81.560 309.060						
24	रुपाकाण प्रमंडल सं०-3 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	259.000 15.000 274.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.150 0.400	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.200 0.500	0.000 0.100 0.100	259.800 15.500 275.300						
25	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-4 गालुडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	252.000 0.000 252.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.850 0.850	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	252.500 1.000 253.500						
26	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-5 डिमना, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	325.000 0.000 325.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	0.000 0.200 0.200	325.500 0.200 325.700						
27	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-9 घाटशिला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	264.000 50.000 314.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.000 0.300 0.300	264.500 50.750 315.250						

(सजोन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशाक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21			विरसुत शीर्ष-01-वेतन एवं मत्तें				विरसुत शीर्ष-02-		विरसुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरसुत शीर्ष-04-		विरसुत शीर्ष-07-		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति					
		विषय कोड	49S270001001 020101	49S27000100 1020110	49S270001001 020112	49S270001001 020213	49S27000100 1020315	49S270001001 020333	49S27000100 1020334	49S270001001 020337	49S270001001 020442	49S27000100 1020760						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
28	विशेष भू-अर्जन पदा० स्वरुण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 200.000 अतिरिक्त आवंटन 88.640 कुल आवंटन 288.640	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.400 0.600	0.250 0.150 0.400	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.200 0.500	0.000 0.300 0.300	200.800 89.740 290.540						
29	विशेष भू-अर्जन पदा० स्वरुण रेखा परियोजना बाँडिल, पश्चिमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन 232.000 अतिरिक्त आवंटन 90.000 कुल आवंटन 322.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.250 0.150 0.400	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.500 0.500	0.300 0.300 0.600	0.000 0.200 0.200	232.800 91.450 324.250						
30	विशेष भू-अर्जन पदा०-3 स्वरुण रेखा परियोजना मानगो-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 299.000 अतिरिक्त आवंटन 50.000 कुल आवंटन 349.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.150 0.400	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.700 0.700	0.300 0.000 0.300	0.000 0.200 0.200	299.800 51.050 350.850						
31	सिंघाई प्रमंडल-गालुडीह	पूर्व का आवंटन 230.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000 कुल आवंटन 230.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.600 0.600	230.500 0.600 231.100						
32	स्वरुण रेखा नहर प्रमंडल गंगुडीह	पूर्व का आवंटन 349.000 अतिरिक्त आवंटन 70.000 कुल आवंटन 419.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.400	0.250 0.000 0.250	0.050 0.050 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	349.500 70.550 420.050						
	अतिरिक्त आवंटन का योग	1013.030	0.000	1.440	2.600	3.550	1.700	0.000	6.270	4.550	4.350	1037.490						

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शुल्क मानते हुए नये सिरे से विधिवीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रु. दस करोड़ सैतीस लाख उनचास हजार मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव